

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक:-F-109(6)/SIHFW/MH-Recruit/Pharma/2023/ 9107-13

दिनांक:- 31/10/2025

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत फार्मासिस्ट भर्ती के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक जिनका भर्ती परिणाम रोक़ा हुआ था, का नीचे दी गई सारणी में दिये गये कारणों के अनुसार अंतिम चयन नहीं किया जा सकता है। निम्नांकित सारणी में सम्मिलित समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि इस सूची के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में चयन नहीं किये जाने के संबंध में यदि उनकी कोई परिवेदना है तो निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर को व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 दिवस में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

S.NO.	Applicant Name	Application ID	Date of Birth	Category	Father's Name	चयन नहीं किये जाने का कारण
1	SUNIL SIDDH	PH196667	1/21/1980	OBC-NCL/	BHEEM NATH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिनांक 16.08.2019 से 23.11.2022 तक कुल 1175 दिवस का फार्मासिस्ट के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसके पुनर्सत्यापन के अध्याधीन अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाकर परिणाम रोक़ा गया था। औषधि नियंत्रक के पत्रांक 3928 दिनांक 29.07.2025 के द्वारा अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 09.08.2011 से 15.06.2022 तक अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने की सूचना से अवगत कराया गया है। जिसके कारण अभ्यर्थी को उक्त अवधि के बोनस अंको का लाभ देय नहीं है शेष अवधि 01 वर्ष से कम एवं कोविड अवधि के बाद की होने के कारण शून्य बोनस अंक होने से अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
2	DEEPAK KUMAR SHARMA	PH190501	12/29/1996	GEN (UNRESERVED)/	MAHAVEER PRASAD SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 02 अनुभव प्रमाण पत्रों के माध्यम से जारी 1184 दिवस का प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 28.02.2018 से 31.05.2018 कुल 93 दिवस तक अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने के कारण इस अवधि के अनुभव का लाभ देय नहीं होने से शेष सत्यापित अवधि के अनुसार अभ्यर्थी को मात्र 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
3	PRAKASH MORWAL	PH197604	7/10/1988	OBC-NCL/	RAMESHWAR LAL MORWAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 2219 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिनकी अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 04.11.2015 से 27.11.2017 एवं 15.02.2018 से 10.01.2020 तक अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने के कारण उक्त अवधि का लाभ देय नहीं है। शेष सत्यापित अवधि के अनुसार अभ्यर्थी को मात्र 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। इस प्रकार 20 प्रतिशत बोनस अंको सहित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

4	SOHAN LAL JAT	PH147014	7/25/1978	OBC-NCL/ --	RURA RAM	पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1105 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 01.05.2007 से 12.10.2015 तक अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने के कारण उक्त अवधि के बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन हेतु पात्र नहीं है।
5	ANUPAM JAIN	PH207966	12/8/1987	EWS/ --	MAHAVEER PRASAD JAIN	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. मेडिकल अनुभाग, जयपुर के द्वारा दिनांक 07.02.2022 से 04.05.2023 तक 420 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसके पुर्नसत्यापन के अध्याधीन अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाकर परिणाम रोका गया था। औषधि नियंत्रक की रिपोर्ट के द्वारा अभ्यर्थी का पंजीयन राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता लिमि. में संचालित मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर दिनांक 22.02.2022 से एक्टिव होने की सूचना से अवगत कराया है। अतः अभ्यर्थी का अनुभव कोरोना अवधि के बाद का होने के कारण 10 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
6	CHANDRA KANT BOCHIWAL	PH165049	4/16/1988	EWS/ --	MAHESH KUMAR BOCHIWAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1383 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 23.05.2017 से 29.08.2017 एवं 06.09.2017 से 05.09.2022 अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने के कारण उक्त अवधि के बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
7	MAAN SAGAR	PH160345	6/4/1989	SC/ --	GAUTAMCHAND	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मेट्रोमानस चिकित्सालय में 1051 दिवस का फार्मासिस्ट के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसके पुर्नसत्यापन के अध्याधीन अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाकर परिणाम रोका गया था। औषधि नियंत्रक के पत्रांक 18 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा अभ्यर्थी का पंजीयन मेट्रोमानस चिकित्सालय में संचालित मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है। जिसके कारण अभ्यर्थी का इस अवधि के बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
8	SHAIKENDRA PRATAP VERMA	PH201709	9/19/1989	OBC-NCL/ --	BALRAM VERMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर, कोटा द्वारा दिनांक 01.12.2015 से 30.09.2017 तक का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसमें कार्यदिवसों की संख्या 762 दिवस दर्शाई गई है जबकि उक्त सम्पूर्ण अवधि, 01.12.2015 से 30.09.2017, ही 02 वर्ष अर्थात्

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						730 दिवस से कम एवं कोविड अवधि से पूर्व की है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के अध्याधीन अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था। अनुभव जारीकर्ता अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के दौरान 662 दिवस की अवधि सत्यापित कराई गई जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
9	PRAVEEN KUMAR	PH151592	1/19/1987	OBC-NCL/ --	NATHU RAO	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ सिरोंही सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. सिरोंही द्वारा दिनांक 01.11.2015 से 30.11.2017 तक 761 दिवस का फार्मासिस्ट पद का सहकारी मेडिकल दुकान संचालन का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। औषधि नियंत्रक के रिपोर्ट द्वारा अभ्यर्थी का पंजीयन सहकारी उपभोक्ता भण्डार के लाईसेंस पर दिनांक 11.12.2015 से 20.11.2017 एक्टिव होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की अनुभव अवधि 711 दिवस ही सत्यापित हुई जिसके अनुसार अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये। अतः अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
10	BHARAT CHOUHARY	PH169458	5/4/1998	OBC-NCL/ --	MANGI LAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 871 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 06.07.2020 से 15.06.2022 एवं 03.11.2022 से अनुभव अवधि के बाद भी अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने के कारण उक्त अवधि के बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
11	MADHU SAGAR DAHWA	PH205726	4/8/1990	SC/	RAM RATAN DAHWA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि फार्मासिस्ट पद के समरूप नहीं होने के कारण बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अतः बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
12	PREETI JOSHI	PH170075	7/9/2000	OBC-NCL/ --	PRAVEEN KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 312 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 05.11.2020 से 04.10.2022 तक अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने के कारण बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी

9

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
13	AESH TAHILIANI	PH105009	7/3/2000	OBC-NCL/ ---	DINESH TAHILIANI	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता "इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी" 25 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
14	YADAV DIPAKKUMAR DHANJIBHAI	PH100418	1/1/1993	SC/	DHANJIBHAI RUPABHAI YADAV	अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम सीजीपीए आधारित अंकतालिकाओं के संबंधित संस्थानों से सत्यापन के दृष्टिगत रोक लिया गया था। सभी अभ्यर्थियों के मध्य अंको की गणना की प्रक्रिया में समानता बनाये रखने के उद्देश्य से नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 24.02.2025 में निर्णय लिया गया कि समानता बनाये रखने के उद्देश्य से सीजीपीए के गुणांक के स्थान पर वास्तविक अंको/प्राप्तांको के आधार पर ही प्रतिशत अंको की गणना किया जाना उचित रहेगा। अतः संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार कुल पूर्णांक एवं प्राप्तांको के आधार पर गणना करने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.377 बनते हैं जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
15	MANISH PATEL	PHT169382	11/12/1999	TSP-GEN (UNRESER VED)/	SHAMBHU LAL PATEL	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि चयन सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों से दोहरे लाभ के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाये। इन अभ्यर्थियों को संस्थान के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 7.1.2025 के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों द्वारा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम सीजीपीए आधारित अंकतालिकाओं के संबंधित संस्थानों से सत्यापन के दृष्टिगत रोक लिया गया था। सभी अभ्यर्थियों के मध्य अंको की गणना की प्रक्रिया में समानता बनाये रखने के उद्देश्य से नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 24.02.2025 में निर्णय लिया गया कि समानता बनाये रखने के उद्देश्य से सीजीपीए के गुणांक के स्थान पर वास्तविक अंको/प्राप्तांको के आधार पर ही प्रतिशत अंको की गणना किया जाना उचित रहेगा। अतः संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार कुल पूर्णांक एवं प्राप्तांको के आधार पर गणना करने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.015 बनते हैं जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
16	DINESH KUMAR ACHARYA	PH139591	7/1/1980	OBC-NCL/ ---	SHYAM SUNDER ACHARYA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 28.02.2018 का जारी ओबीसी एनसीएल का जातिप्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी द्वारा नवीन जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन परिणाम रोक दिया गया था। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 25.08.2023 का जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो कि विज्ञप्ति

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						दिनांक एवं दस्तावेज सत्यापन दिनांक के बाद है जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय ओबीसी नॉनक्रिमीलेयर वर्ग में पात्र नहीं था। इस प्रकार अभ्यर्थी को ओबीसी नॉनक्रिमीलेयर वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के समान मानते हुये सामान्य वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन हेतु पात्र नहीं है।
17	MOHSIN KHAN PATHAN	PH184919	10/13/1989	EWS/	MUSTKIM KHAN PATHAN	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिनांक 01.07.2015 से 30.11.2016 तक 518 दिवस, दिनांक 21.12.2016 से 30.08.2018 तक 579 दिवस, दिनांक 01.12.2019 से 31.12.2021 तक 650 दिवस एवं दिनांक 01.01.2022 से 04.05.2023 तक 488 दिवस कुल 2235 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अध्याधीन 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाकर परिणाम रोका गया था। औषधि नियंत्रक द्वारा अपने पत्रांक 4510 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 25.04.2014 से 24.04.2019 एवं 21.09.2020 से 31.08.2023 तक अन्यत्र संचालित निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके कारण उक्त अवधि का बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। शेष अभ्यर्थी को कोविड अवधि में अनुभव होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
18	RAJENDRA KUMAR NAGAR	PH200438	2/1/1993	OBC-NCL/ --	GIRIRAJ PRASAD	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिनांक 05.09.2015 से 31.07.2019 तक 1342 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 10.10.2017 से 17.12.2019 तक अन्यत्र निजी मेडिकल स्टोर के लाईसेंस पर एक्टिव होने के कारण उक्त अवधि के बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। शेष अवधि के आधार पर 20 बोनस अंको का लाभ प्रदान किया गया है। अतः अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन हेतु पात्र नहीं है।
19	BHAGWAN SAHAI YADAV	PH126597	7/8/1987	OBC-NCL/ --	RAM NARAYAN YADAV	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि चयन सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों से दोहरे लाभ के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाये। इन अभ्यर्थियों को संस्थान के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 7.1.2025 के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों द्वारा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्रांक 2696 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि अभ्यर्थी का नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में मेरिट क्रमांक 2327 पर चयन हो जाने के कारण अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अपने अनुभव प्रमाण पत्र का पुनर्सत्यापन कराये जाने हेतु मना कर दिया गया। अतः पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं है।
20	DINESH KUMAR NAGARWAL	PH169552	6/24/1976	SC/	POORAN LAL NAGARWAL	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि चयन सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों से दोहरे लाभ के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाये। इन अभ्यर्थियों को संस्थान के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 7.1.2025 के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों द्वारा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के पत्र दिनांक 09.05.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अभ्यर्थी बिलोनाकला ब्लॉक लालसोट जिला दौसा में नियमित फार्मासिस्ट के पद पर दिनांक 28.08.2023 से कार्यरत है। अभ्यर्थी ने बैंक स्टेटमेंट एवं पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अनुभव का पुनर्सत्यापन कराया जाना संभव नहीं है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं है।
21	REKHA KUMARI JAIN	PH143026	1/21/1978	EWS/	CHANDRA KANT JAIN	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि चयन सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों से दोहरे लाभ के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाये। इन अभ्यर्थियों को संस्थान के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 7.1.2025 के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों द्वारा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं है।
22	ROSHAN SONI	PH156453	7/11/1989	OBC-NCL/	ARVIND SONI	
23	BHAVIN TRIVEDI	PH154082	9/11/1998	EWS/	RAVINDRA KUMAR TRIVEDI	
24	GOVIND SWARNKAR	PH135040	5/15/1993	OBC-NCL/	ARVIND SWARNKAR	
25	NIDHI AGARWAL	PH112672	1/5/2000	GEN (UNRESERVED)/	NARESH AGARWAL	
26	ANJALI BASER	PH167220	6/12/1996	GEN (UNRESERVED)/	ASHOK BASER	
27	PRADEEP BARUPAL	PH100541	1/5/1997	SC/	NEMA RAM	
28	PRIYANKA SINGH RAJORA	PH108782	3/21/1996	OBC-NCL/	DEVENDRA SINGH	
29	ANJUDIP YADAV	PH202767	3/2/1996	OBC-NCL/	MUKESH YADAV	
30	ANSHIKA SHARMA	PH121115	8/11/2003	OBC-NCL/	VINAY SHARMA	
31	SANJU BHAWARIYA	PH122834	9/10/1994	OBC-NCL/	MAHENDRA BHAWARIYA	
32	MAINA CHOUHAN	PH149890	10/24/1989	GEN (UNRESERVED)/	BHANWAR SINGH CHOUHAN	
33	RAMESH	PH131776	7/20/1991	SC/	ANDA RAM	

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

34	KUMAR MONIKA UPADHYAY	PH118205	2/5/1985	GEN (UNRESER VED)/	KUSHAL UPADHYAY	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि चयन सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों से दोहरे लाभ के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाये। इन अभ्यर्थियों को संस्थान के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 7.1.2025 के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों द्वारा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं है।
35	RAJAN SINGH	PH130261	10/26/1992	SC/	JARNAIL SINGH	
36	MEENA SAPNA HARIMOHAN	PH103744	7/3/1999	ST/	MEENA HARIMOHAN	
37	RATAN KUMARI CHOUDHARY	PH120134	12/21/1991	OBC-NCL/ --	RAM LAL	
38	SANCHIKA NAYAK	PH157845	7/24/1994	SC/	JUDHA RAM NAYAK	
39	GURPREET SINGH	PH108482	11/29/1989	SC/	ANAND SINGH	
40	MANISHA KUMARI	PH116485	2/3/1992	ST/	RAMPRAKASH MEENA	
41	PRAFULL VERMA	PH130738	9/12/1999	SC/	SURESH VERMA	
42	POOJA BHATI	PH136036	7/31/1987	OBC-NCL/ --	SHYAM LAL BHATI	
43	ROSHAN	PH133234	12/18/1981	OBC-NCL/ --	SUMER SINGH	
44	BHOLI DEVI MEENA	PH112087	7/13/1993	ST/	JAGDISH NARAYAN	
45	DINESH KUMAR	PH128278	2/10/1984	OBC-NCL/ --	DAYANAND BEDWAL	
46	NEERU SAINI	PH123180	2/18/1983	OBC-NCL/ --	GOVIND NARAYAN SAINI	
47	ARCHNA SHARMA	PH125261	7/14/1987	EWS/	SURESH CHANDRA SHARMA	
48	RANGREJ RUMANABANU USMANGANI	PH107615	11/24/1988	GEN (UNRESER VED)/	USMANGANI	
49	NITESH KUMAR CHANDA	PH174059	5/31/1983	ST/	RAJA RAM MEENA	
50	HAFIGUDDIN JATU	PH195954	7/7/1985	OBC-NCL/ --	MOINUDDIN JATU	
51	SURGYAN MEENA	PH116565	5/25/1980	ST/	RAM PRASAD MEENA	
52	MONIKA UPADHYAY	PHT118225	2/5/1985	TSP-GEN (UNRESERVE D)/	KUSHAL UPADHYAY	
53	HIMANI JAIN	PHT106068	1/5/1996	TSP-GEN (UNRESERVE D)/	KESARI MAL PANCHORI	
54	BINDAL CHOUDHARY	PH203383	10/17/1988	GEN (UNRESER VED)/	KANHAIYA LAL RAWAT	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि चयन सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों से दोहरे लाभ के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाये। इन अभ्यर्थियों को संस्थान के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 7.1.2025 के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त
55	VIKRAM SINGH NARUKA	PH141361	10/14/1987	GEN (UNRESERVE D)/	BHANWAR SINGH NARUKA	
56	MONU PRAJAPAT	PH124328	11/10/2001	OBC-NCL/ --	RAMNIVAS PRAJAPAT	

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों द्वारा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही दिव्यांगता परीक्षण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय के पत्रांक 190 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा अवगत कराते हुये "अभ्यर्थी को गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण हेतु बुलाया गया लेकिन प्रार्थी ने दूरभाष पर हुई वार्तानुसार बताया गया कि मैं नहीं आऊंगा" का उल्लेख किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
57	BRAJENDRA KUMAR SHARMA	PH119136	7/20/1974	OBC-NCL/ --	KANHAIYA LAL SHARMA	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि चयन सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों से दोहरे लाभ के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाये। इन अभ्यर्थियों को संस्थान के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 7.1.2025 के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों द्वारा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही दिव्यांगता परीक्षण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय के पत्रांक 190 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के पत्रांक 190 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि अभ्यर्थी ईएनटी विभाग के सदस्य चिकित्सक द्वारा चाही गई जाँच रिपोर्ट लेकर आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी अंतिम चयन हेतु पात्र नहीं है।
58	NAVNEET KUMAR PATIDAR	PH148477	7/2/1992	OBC-NCL/ --	MOHAN LAL PATIDAR	
59	MANOHAR LAL	PH104097	5/11/2000	OBC-NCL/ --	BABU LAL	

निदेशक

दिनांक:- 31/10/2025

क्रमांक:-F-109(6)/SIHFW/MH-Recruit/Pharma/2023/ 9107-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रुम को वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक